निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1945 (श0)

(सं0 पटना 431) पटना, सोमवार, 22 मई 2023

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

19 मई 2023

सं० प्र02वि0 1– 32/2022–2213–खाद्य––उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) एवं भारत सरकार द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 में वर्णित प्रावधानों के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ (4) में उल्लिखित जिला के जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में योगदान की तिथि से 4 (चार) वर्षों अथवा 65 वर्षों की उम्र सीमा जो भी पहले हो, के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जन्म तिथि	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का नाम	अध्यक्ष
1	2	3	4	5
1	**MADHUKAR KUMAR** Flat No.- 301, Building No.- 9/11, Second Right Lane in Kasturba Path, Boring Road (Patna) Bihar- 800013	05-09-1961	जमुई	पुरूष
2	**KRISHNA MURARI SHARAN** C/o Late Kamta Prasad, Subhash Nagar Munger Pin - 811201	02-04-1962	मधुबनी	पुरूष

क्र0 सं0	नाम एवं पता	जन्म तिथि	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का नाम	अध्यक्ष
1	2	3	4	5
3	**SURENDRA PRASAD PANDEY** Bhootnath Colony, Noniya Patti, In front of Padrauna Railway Station, Padrauna District- Kushinagar (Uttar Pradesh) Pin Code-274304	02-09-1959	पूर्वी चम्पारण	पुरूष
4	**PIYUSH KAMAL DIXIT** A/M-75, Neem Sarai, ADA Colony, Munder (Prayagraj), Allahabad, Uttar Pradesh-211011	05-01-1963	वैशाली	पुरूष

2. जिला आयोग के अध्यक्ष को देय वेतन का निर्धारण उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2020 तथा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–2199 दिनांक 17.06.2021 के आलोक में किया जायेगा।

3. जिला आयोग के उपर्युक्त नियुक्त अध्यक्ष को देय वेतन उनके योगदान की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

4. अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से सात कार्य दिवसों के अंदर योगदान नहीं करने पर संबंधित अभ्यर्थी का दावा निरस्त समझा जायेगा एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

5. संबंधित अध्यक्ष अपना योगदान संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी को जन्म तिथि प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति के साथ समर्पित करेगें। जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। योगदान की एक प्रति निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को भी समर्पित की जायेगी।

6. जिला आयोग के अध्यक्ष द्वारा त्याग पत्र उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्त्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका–7 के अध्यधीन होगी।

7. जिला आयोग के अध्यक्ष का पद से हटाये जाने की प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्त्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका–8 के अध्यधीन होगी।

8. जिला आयोग के अध्यक्ष के दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता की जाँच की प्रक्रिया उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्त्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग पत्र और हटाना) नियम, 2020 की कंडिका–9 अध्यधीन होगी।

9. जिला आयोग के प्रत्येक अध्यक्ष 04 (चार) वर्ष की अवधि अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे।

10. चयनित अभ्यर्थी को योगदान के पूर्व संलग्न अनुलग्नक–I में जिला आयोग के अध्यक्ष पद के लिए शपथ–पत्र एवं अनुलग्नक– II में जिला आयोग के अध्यक्ष हेतु गोपनीयता का शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11. नियुक्ति प्रक्रिया में किसी अभ्यर्थी द्वारा समर्पित सूचना/प्रमाण पत्र/कागजातों के आधार पर की गयी नियुक्ति भविष्य में कोई सूचना/कागजात गलत पाए जाने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः रद्द कर दी जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव।

अनुलग्नक– I

प्ररूप I

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

मै, क, ख, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, .../ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, ... का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर के नाम में शपथ लेता हूं कि मैं उपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और विवेकबुद्धि से राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अपने कर्त्तव्यों का निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से निर्वहन करूंगा तथा किसी भय अथवा पक्षपात, राग अथवा द्वेष के बिना निर्णय दूंगा तथा मैं संविधान और देश की विधि की रक्षा करूंगा।

( )

FORM I

Form of Oath of Office for the President and Member of the State Commission and District Commision

I, A. B., having been appointed as the President/Member in the State Consumer Disputes Redressal commission, .../ District Consumer Disputes Redressal Commission, …….. do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the President/Member of the State Commission/District Commission to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear of favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws of land.

( )

अनुलग्नक– II

प्ररूप II

राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

मै, क, ख, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, .../ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग..... .....का अध्यक्ष/सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने पर, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान से करता हूं/ईश्वर के नाम में शपथ लेता हूं कि मैं, अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मेरे कर्त्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए यथाअपेक्षित के सिवाय, मेरे विचाराधीन प्रस्तुत किए गए अथवा राज्य आयोग/जिला आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में मुझे ज्ञात हुए, किसी मामले को किसी व्यक्ति अथवा व्यक्यिों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा प्रकट नहीं करूंगा।

( )

FORM II

Form of Oath of Secrecy for the President and Member of the State Commission and District Commission

I, A. B., having been appointed as the president/ Member of the State Consumer Disputes Redressal Commission, ……./ District Consumer Disputes Redressal Commission, …….. do solemnly affirm/ do swear in the name of God that I will not directly of indirectly communicate or reveal to any person of persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as President/ Member of the State Commission/District Commission except as may be required for the due discharge of my duties as the President/ Member.

( )

संजय कुमार उपाध्याय,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 431-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in